

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/887

दिनांक : 23/01/2026

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 17(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 262 दिनांक 22.08.1994 एवं आदेश क्रमांक 3464 दिनांक 22.08.2014 को अधिकृत करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के सभी जिला कलक्टरों को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट करता है।

और यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 8 के प्रावधान के अनुसार जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में अपने जिले हेतु नगरपालिका निर्वाचन के लिये समग्र प्रभारी होगा। अतः आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि पैरा 1 द्वारा पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट जिला निर्वाचन अधिकारी ही उनके जिले में नगरपालिका निर्वाचनों के लिये जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी होंगे।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक : 23/01/2026

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/888-892

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव